भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

25.02.2016 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 163

नए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा की चिंता

163. श्रीमती जया बच्चन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नए निर्मित और निर्माणाधीन नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा और संरक्षा चिंताएं व्यक्त की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, नहीं। लोगों के कुछ समूहों अथवा वर्गों में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा के बारे में कुछ आशंकाएं रही हैं।

(ख) तथा (ग) इन चिंताओं का निराकरण, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा, लोगों के भय एवं आशंकाओं को दूर करने के लिए, एक बहु-विषयक पद्धति अपनाकर, एक विशाल जन-जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उपयुक्त रूप से किया जाता है।

सरकार ने, भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा की जिम्मेदारी परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) को सौंपी है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के मामले में स्थल निर्धारण से लेकर निर्माण, कमीशनिंग तथा प्रचालन के विभिन्न चरणों के लिए अनुमति देने से पूर्व, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा नाभिकीय संरक्षा और संरक्षा पहलुओं की समीक्षा की जाती है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ने, अपने कोडों तथा गाइडों में, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए संरक्षा तथा सुरक्षा आवश्यताएं निर्धारित की हैं, जोकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के पास, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, बहु-स्तरीय समीक्षाओं तथा आवधिक नियामक निरीक्षणों के माध्यम से, नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के नाभिकीय संरक्षा तथा नाभिकीय सुरक्षा संबंधी पहलुओं की समीक्षा करने की एक कठोर प्रक्रिया है।

****